डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, नदबई

व इजलास श्री मंगतराम मीणा ,आर.ए.एस

हाकिम बनाम शिवसिंह वगै0

दावा बाबत् 88,89,188 रा0का0 अधिनि0

मुकदमा नंबर 91/2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू ___ व हाजरी ___ निम्नलिखित मुद्दई व ___ निम्नलिखित मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है डिकरी दी जाती है कि

अत: आदेश है कि आराजी खसरा नम्बरान 466 रकबा 0.05, 470 रकबा 0.02, 471 रकबा 0.05, 472 रकबा 0.19, 352 रकबा 0.08 कुल रकबा 0.39 है0 वाके ग्राम गांगरौली तहसील नदबई मे स्थित है, पर वादीगण को तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 व 5 सहित मुताबिक हिस्सा वादीगण संख्या 1 व 2 को हिस्सा 1/4 वाहिस्सा बराबर, वादीगण संख्या 3 लगायत 5 हिस्सा 1/4 वाहिस्सा बराबर व तरतीवी प्रतिवादीगण हिस्सा 1/2 वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 के नाम हो रहे इन्द्राजात को कलमजन किया जाता है।

बैज - मुबलिग ------- बाबत ---------- खर्चा इस मुकदमें के मदमुद ___ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख व सुलगावी तक ___ की अदा करें ।

दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **09.12.2024** को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत— (हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोट संशोधित डिक्री:- प्रा.पत्र-151 व 152 स्वीकार होने पर वादीगण स. 1 व 2 के हिस्सा 1/4 के स्थान पर उसके वारिसान वादी सं. 1 हाकिम को हिस्सा 1/4 का खातेदार घोषित किया जाता है शेष यथावत रहेगा।

(हस्ताक्षर)
24/12/24

Scanned with OKEN Scanner

1. हाकिम पुत्र पदमसिंह जाति जाट निवासी गांगरौली तहसील नदबई जिला भरत...
2. उम्मेद (मृतक) पुत्र पदमसिंह जाति जाट निवासी गांगरौली तहसील नदबई जि... भरतपुर।
3. प्रहलाद(मृतक) पुत्र दीपचंद जाति जाट निवासी गांगरौली तहसील नदबई ... भरतपुर।

3/1. कमलेश बेवा प्रहलाद जाति जाट निवासी गांगरौली तहसील नदबई ... भरतपुर।
3/2. गोपाल नाबालिग बली माता कमलेश बेवा प्रहलाद जाति जाट निवासी गांग... तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3/3. हरवती पुत्री प्रहलाद जाति जाट निवासी गांगरौली तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3/4. श्यामवती पुत्री प्रहलाद जाति जाट निवासी गांगरौली तहसील नदबई जि... भरतपुर।
4. पप्पू पुत्र दीपंचद जाति जाट निवासी गांगरौली तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. रामपाल पुत्र दीपंचद जाति जाट निवासी गांगरौली तहसील नदबई जिला भरतपुर।

वादी

बनाम

1. शिवसिंह पुत्र कारे जाति जाट निवासी गांगरौली तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. तहसीलदार नदबई।
3. सब रजिस्ट्रार नदबई।

प्रतिवादीगण

4. नवलसिंह पुत्र घनश्याम जाति जाट निवासी गांगरौली तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. लेखराम (मृतक) पुत्र घनश्याम जाति जाट निवासी गांगरौली तहसील नदबई जिला भरतपुर।

5/1. दिनेश उर्फ सुजान पुत्र घनश्याम जाति जाट निवासी गांगरौली तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5/2. चन्द्रमान पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी गांगरौली तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5/3. सुमन पुत्री लेखराम जाति जाट निवासी गांगरौली तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5/4. गायत्री बेवा लेखराम जाति जाट निवासी गांगरौली तहसील नदबई जि... भरतपुर।

तरतीवी प्रतिवादीगण

9/12/24

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीणा R.A.S.)

प्रकरण सं. 91/2014
जीसीएमएस न. 2014/00109
किस्म दावा 88, 89, 188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 09.12.2024

1. हाकिम पुत्र पदमसिंह जाति जाट निवासी गांगरौली तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. उम्मेद (मृतक) पुत्र पदमसिंह जाति जाट निवासी गांगरौली तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. प्रहलाद(मृतक) पुत्र दीपचंद जाति जाट निवासी गांगरौली तहसील नदबई जिला भरतपुर।

3/ 1. कमलेश बेवा प्रहलाद जाति जाट निवासी गांगरौली तहसील नदबई जिला भरतपुर।

3/2. गोपाल नाबालिग बली माता कमलेश बेवा प्रहलाद जाति जाट निवासी गांगरौली तहसील नदबई जिला भरतपुर।

3/3. हरवती पुत्री प्रहलाद जाति जाट निवासी गांगरौली तहसील नदबई जिला भरतपुर।

3/4. श्यामवती पुत्री प्रहलाद जाति जाट निवासी गांगरौली तहसील नदबई जिला भरतपुर।

4. पप्पू पुत्र दीपंचद जाति जाट निवासी गांगरौली तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. रामपाल पुत्र दीपंचद जाति जाट निवासी गांगरौली तहसील नदबई जिला भरतपुर।

वादी

बनाम

1. शिवसिंह पुत्र कारे जाति जाट निवासी गांगरौली तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. तहसीलदार नदबई।
3. सब रजिस्ट्रार नदबई। प्रतिवादीगण
4. नवलसिंह पुत्र घनश्याम जाति जाट निवासी गांगरौली तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. लेखराम (मृतक) पुत्र घनश्याम जाति जाट निवासी गांगरौली तहसील नदबई जिला भरतपुर।

5/1. दिनेश उर्फ सुजान पुत्र घनश्याम जाति जाट निवासी गांगरौली तहसील नदबई जिला भरतपुर।

9/12/24

Scanned with OKEN Scanner

5/2. चन्द्रभान पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी गांगरौली तहसील नदबई जिला भरतपुर।

5/3. सुगन पुत्री लेखराम जाति जाट निवासी गांगरौली तहसील नदबई जिला भरतपुर।

5/4. गायत्री बेवा लेखराम जाति जाट निवासी गांगरौली तहसील नदबई जिला भरतपुर।

तरतीवी प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री फूलसिंह (वादीगण)

श्री रघुवीरशरण गुप्ता (प्रतिवादी की ओर से)

:: निर्णय ::

दावा 88, 89, 188 आर.टी.ए.

दावा वादीगण संक्षिप्त में निम्नानुसार है–

1. यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण सभी पक्षकारान वादपत्र लडने योग्य हैं।
2. यह कि विवादित आराजी बंदोबस्ती हाल खसरा नंबरान 466 रकबा 0.05 470 रकबा 0.02, 471 रकबा 0.05, 472 रकबा 0.19, 352 रकबा 0.08 कुल रकबा 0.39 है0 जो कि संवत 2028 के साबिक खसरा नंबर 337 रकबा 8 बिस्वा व 338 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा से निर्मित किए गए हैं जिनके संवत 2028 से पूर्व के साबिक खसरा नंबर 244 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा व 245 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा थे। उक्त विवादित आराजी वाके ग्राम गांगरौली स्थित है।
3. यह कि विवादित आराजी संवत 2028 से पूर्व के साबिक खसरा नंबर 244 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा पर वादीगण संख्या 1 लगायत 5 के बाबा व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पिता घनश्याम पुत्र दर्याव संवत 2012 से पूर्व से ही हैसियत शिकमी काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता की खातेदारी में दर्ज था। वादीगण के बाबा के देहान्त उपरान्त वादीगण तथा तरतीवी प्रतिवादीगण लगातार काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं तथा उन्हें धारा 19 आरटीएक्ट के तहत खातेदारी अधिकार हासिल हो चुके हैं इसके अलावा साबिक खसरा नंबर 245 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूप्रबंध विभाग संवत 2028 से पूर्व स्वयं वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण के बाबा व पिता घनश्याम की खातेदारी काश्त की आराजी थी लेकिन भूप्रबंध विभाग संवत 2028 ने बिना किसी अधिकार पूर्व इन्द्राजात के विपरीत दोनों साबिक खसरा नंबर 244व 245 से नये खसरा नंबर 337 व 338 निर्मित कर प्रतिवादी संख्या 1 के पिता की खातेदारी में दर्ज कर दिए गए जिनके हाल खसरा नंबर संवत 2060 द्वारा निर्मित किए हैं जिसका भूप्रबंध विभाग को इस प्रकार कृत्य करने का कोई कानूनी अधिकार हासिल नंही था। इस प्रकार वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण सहित हाल आराजी पर शिकमी काश्तकार के आधार पर तथा पैतृक संपत्ति होने के आधार पर खातेदार अधिकार हासिल है। जिसके अनुसार वादीगण संख्या 1 व 2 हिस्सा 1/4 वाहिस्सा बराबर व वादीगण संख्या 3 लगायत 5 हिस्सा 1/4 वाहिस्सा बराबर तथा तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 हिस्सा 1/2 वाहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी हैं तथा प्रतिवादीगण के नाम हो रहे खातेदारी

इन्द्राजात कलमजन किए जावें। वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण 4 व 5 काबिज काश्त हैं लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हो रहे इन्द्राजातों के आधार पर आराजी से बेदखल कर रहनवयमुन्तकिल करना चाहते हैं अतः मुताबिक प्रार्थना वादीगण को तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 व 5 सहित मुताबिक हिस्सा वादीगण संख्या 1 व 2 को हिस्सा 1/4 वाहिस्सा बराबर वादीगण संख्या 3 लगायत 5 हिस्सा 1/4 वाहिस्सा बराबर व तरतीवी प्रतिवादीगण 1/2 वाहिस्सा बराबर शिकमी काश्तकार होने के नाते व पैतृक संपत्ति होने के कारण खातेदार काश्तकार घोषित किया जाए।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण सं. 1 की ओर से श्री रघुवीरशरण एडवोकेट उपस्थित हुए। शेष प्रतिवादीगणों की तामील बाबजूद न्यायालय हाजा उपस्थित न होने के कारण इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जबाव दावा पेश किया गया जो संक्षिप्त में निम्नानुसार है–

1. यह कि विवादित आराजी प्रतिवादीगण को स्वीकार है। तथा विवादित आराजी वाके ग्राम गांगरौली स्थित है। आराजी के हाल साबिक खसरा नंबर 337 व 338 से बने हैं। तथा 337 व 338 के साबिक खसरा नंबर 244 व 245 से बने हैं जो स्वीकार है।
2. वादीगण द्वारा वादपत्र असत्य गलत तहरीर किया है। विवादित आराजी मुझ प्रतिवादी के पिता संवत 2012 से ही खातेदार की हैसियत से काबिज थे उनकी मृत्यु के बाद हम काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। मुझ प्रतिवादी के पिता ने विवादित आराजी को कभी भी वादीगण व तरतीवी को काश्त पर नहीं दी। इसके अलावा खसरा नंबर 245 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा पर वादीगण के पिता व पूर्वज की कभी खातेदारी अंकित नहीं रही है। मुझ प्रतिवादी व मेरे पिता संवत 2012 से ही काबिज काश्त हैं ऐसी स्थिति में दावा मेन्टेनेबल नहीं हैं। न ही किसी की कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हैं। दावा खारिज योग्य है।
3. यह कि मुझ प्रतिवादी ने इस विवादित आराजी के संबंध में उक्त दावा से पूर्व एक दावा उनवानी शिवसिंह बनाम प्रहलाद सिंह वगै0 धारा 188 आरटीए के तहत पेश कर रखा है। वादीगण मुझ प्रतिवादीगण की उक्त आराजी में दखलदांजी करते हैं। वादीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से भी पाबंद कर रखा है। वादीगण दावा झूंठे तथ्यों पर पेश कर रखा है जो काबिल खारिजी के है। इसके अलावा वादीगण ने पदमसिंह, दीपचंद एवं घनश्याम के सभी वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया है तथा शिकमी काश्तकार के आधार पर वादीगण को विरासतन के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं अतः दावा खारिज योग्य है।
4. वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के जबाव दावा के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्नांकित तनकीयात कायम की गई जो इस प्रकार है–
   1. आया प्रतिवादी संख्या 1 के इन्द्राज कलमजन कर मुताबिक प्रार्थना खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।– जिम्मेवादी
   2. आया वादी ने दावा 188 आरटीए पूर्व में पेश कर रखा है अतः दावा झूंठे तथ्यों के आधार पर खारिज योग्य है– जिम्मे प्रतिवादी
   3. आया वादीगण ने सभी पक्षकार पदमसिंह, दीपसिंह, घनश्याम के नहीं बनाए गए हैं। दावा खारिज योग्य है– जिम्मे प्रतिवादीगण

9/12/24

वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी संवत 2012 प्रदर्श 7व 8, नकल जमाबंदी संवत 2013 से 16 प्रदर्श 9, नकल मृत्यु प्रमाण पत्र प्रहलाद दिनांक 09.04.18, नकल जमाबंदी संवत 2028 प्रदर्श 1, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060, नकल जमाबंदी संवत 2021, नकल हाल जमाबंदी संवत 2067–70 प्रदर्श 6 वाके ग्राम गांगरौली पेश की गई। एवं मौखिक बयान के रूप में हाकिम सिंह पुत्र पदमसिंह जाति जाट निवासी गांगरौली एवं बंटी पुत्र नवलसिंह जाति जाट निवासी गांगरौली पेश किए गए।

प्रतिवादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 प्रदर्श 1ए, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 प्रदर्श 2ए, नकल जमाबंदी संवत 2012 प्रदर्श 3ए, नकल जमाबंदी संवत 2013–16 प्रदर्श 4ए, नकल जमाबंदी संवत 2065 प्रदर्श 5 ए, नकल निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.18 मुं0 उ0 शिवसिंह बनाम प्रहलाद, नकल वादपत्र शिवसिंह बनाम प्रहलाद अंतर्गत धारा 188 आरटीए प्रदर्श 8ए एवं मौखिक बयान के रूप में शिवसिंह पुत्र कारे जाति जाट निवासी गांगरौली के बयान पेश किए गए जो शामिल पत्रावली किए गए।

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों का अवलोकन किया गया। निर्णय तनकीवार इस प्रकार है–

1. आया प्रतिवादी संख्या 1 के इन्द्राज कलमजन कर मुताबिक प्रार्थना खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।– उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी हाल संवत 2067–70 पर विवादित आराजीयात खसरा नंबर 466 व 470, 471, 472, 352 पर प्रतिवादी संख्या 1 शिवसिंह पुत्र कारे जाति जाट के नाम खातेदारी का अंकन हो रहा है। जो कि संवत 2028 के साबिक खसरा नंबर 337 रकबा 8 बिस्वा व 338 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा से निर्मित किए गए हैं। जिनके संवत 2028 से पूर्व साबिक खसरा नंबर 244 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा व 245 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा है। जो वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है। संवत 2028 से पूर्व के साबिक खसरा नंबर 244 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा पर वादीगण संख्या 1 लगायत 5 के बाबा व तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 के पिता घनश्याम पुत्र दर्याव संवत 2012 में शिकमी काश्त की खातेदारी का अंकन हो रहा है जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता घनश्याम की खातेदारी में दर्ज है। वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण लगातार काबिज काश्त है। उसके अलावा वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण के बाबा व पिता घनश्याम की संवत 2029 से पूर्व की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड रही है परन्तु भूप्रबंध विभाग संवत 2028 में बिना किसी अधिकार पूर्व इन्द्राजात के विपरीत साबिक खसरा नंबर 244 व 245 से बने नए खसरा नंबर 337 व 338 बनाए जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 के पिता के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2012 के खसरा नंबर 244 में नानगा गैर मौरोसी कॉलम संख्या 5 में दर्ज है तथा खसरा नंबर 245 में घनश्याम खुदकाश्त कॉलम संख्या 5 में दर्ज है। जो कि प्रदर्श 7, 8 व 9 से साबित है। तथा नकल जमाबंदी संवत 2013–16 में खसरा संख्या 245 पर घनश्याम व नानगा की खुदकाश्त की खातेदारी का अंकन है। इस प्रकार उक्त विवादित आराजी पैतृक आराजी है जो कि पूर्वजों के नाम रही है। भूप्रबंध विभाग द्वारा जो बिना किसी अधिकार पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी

9/12/24

Scanned with OKEN Scanner

दर्ज की गई है जो बिना किसी आदेश व बिना किसी अधिकार के की गई है जो काबिल कलमजन योग्य है। उक्त तनकी के विरोध में प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया। अतः उक्त तनकी वादीगण के हक व प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

2. आया वादी ने दावा 188 आरटीए पूर्व में पेश कर रखा है अतः दावा झूंठे तथ्यों के आधार पर खारिज योग्य है– उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल मु0 उ0 शिवसिंह बनाम प्रहलाद वगै0 दावा अंतर्गत धारा 188 आरटीए निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2018 पेश की गई जिसमें खसरा नंबर 465, 467, 466, 470, 471 पर प्रतिवादीगण प्रहलाद सिंह वगै0 के विरूद्ध पेश किया गया। उक्त निर्णय के मुताबिक विवादित आराजीयात की मौके पर पैमाईश कराए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त तनकी के विरूद्ध में वादीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया। अतः उक्त तनकी वादीगण के खिलाफ व प्रतिवादीगण के हक में तय की जाती है।

3. आया वादीगण ने सभी पक्षकार पदमसिंह, दीपसिंह, घनश्याम के नहीं बनाए गए हैं। दावा खारिज योग्य है– उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। प्रतिवादीगण द्वारा किसी भी प्रकार का सजरा अथवा अन्य कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे साबित होता हो कि सभी पक्षकारों के वारिसान पक्षकार मुकदमा नहीं बनाए गए है। पत्रावली पर उपलब्ध सभी पक्षकारों के वारिसान मौजूद हैं अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के खिलाफ व वादीगण के हक में तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार निर्णय के विवेचन के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार योग्य है।

अतः आदेश है कि आराजी खसरा नम्बरान 466 रकबा 0.05, 470 रकबा 0.02, 471 रकबा 0.05, 472 रकबा 0.19, 352 रकबा 0.08 कुल रकबा 0.39 है0 वाके ग्राम गांगरौली तहसील नदबई में स्थित है, पर वादीगण को तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 व 5 सहित मुताबिक हिस्सा वादीगण संख्या 1 व 2 को हिस्सा 1/4 वाहिस्सा बराबर, वादीगण संख्या 3 लगायत 5 हिस्सा 1/4 वाहिस्सा बराबर व तरतीवी प्रतिवादीगण हिस्सा 1/2 वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 के नाम हो रहे इन्द्राजात को कलमजन किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9/12/24

(गंगाधर मीणा R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी नदबई

उपखण्ड अधिकारी

नदबई (भरतपुर)

नोट:- उपरोक्त निर्णय - प्रार्थना पत्र 151 व 152 स्वीकार होने पर वादीगण सं. 1 व 2 के हिस्सा 1/4 के स्थान पर उसके वारिसान वादी सं. 1 नाथी को हिस्सा 1/4 का खातेदार घोषित किया जाता है शेष यथावत रहेगा।

24/12/24

उपखण्ड अधिकारी

नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner